न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

सं. 265/2021
सीएमएस : 2024/883

1. फकीरचन्द्र पुत्र श्री शिवकरण जाति विश्नोई साकिन मालसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

1. शिव कुमार पुत्र श्री हरूप जाति विश्नोई साकिन वार्ड नं. 8 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हरि कुमार उर्फ रामकुमार पुत्र श्री हरूप जाति विश्नोई साकिन 16/17 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. वेद प्रकाश पुत्र श्री हरूप जाति विश्नोई साकिन 19 एनपी तह. रायसिंहनगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 17.11.2021

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री राजाराम धारणियां अधि. वादी।
2. श्री हेतराम विश्नोई अधि. प्रति. सं. 1
3. प्रति.सं. 2—3 एकपक्षीय कार्यवाही।

—: निर्णय :— दिनांक : 23.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत 2075—2078 तह. रायसिंहनगर के चक 16/17 एनपी के प.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 4 ता 9 की 1.518 है. भूमि फकीरचन्द्र वल्द शिवकरण 2/3 हिस्सा व शिवकुमार—हरिकुमार व वेदकुमार पुत्र हरूप 1/3 हिस्सा अर्थात 1/9 हिस्सा प्रत्येक खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 18.06.1992 ईमरती पुत्री जिया से खरीद की हुई है। बैयनामा के अनुसार मु.नं. 22 के कि.नं. 4—5—6—7 की 1.012 है. भूमि वादी के नाम से व कि.नं. 8—9 की 0.506 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से संयुक्त रूप से खरीदी गई है तथा खरीद के रोज से ही मु.नं. 22 के कि.नं. 4—5—6—7 की 1.012 है. भूमि पर मुझ वादी व कि.नं. 8—9 की 0.506 है. नहरी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का संयुक्त रूप से अलग—अलग कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में बैयनामा व उपरोक्त बंटवारा के अनुसार अमल दरामद नहीं हुआ है जिसकी वजह से भू. राजस्व जमा कराने, आवयाना इत्यादि जमा करवाने में बाधा उत्पन्न होती है, वादी अपने हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण की भूमि से अलग करवाने का विधिक अधिकारी है तथा बंटवारा व खरीद के अनुसार वाद विभाजन अपने हिस्सा की भूमि का अलग से अमल दरामद करवाने का अधिकारी है तथा यही वादकरण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व हासिल है। वादी ने बरोबरू गवाहान राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 29.11.2021 को प्रतिवादीगण को उपरोक्त विभाजन व कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रतिवादीगण को बमुकाम मालसर कहा, तो प्रतिवादीगण ने स्पष्टत इन्कार कर दिया कि वे बंटवारा व कब्जा काश्त के आधार पर भूमि का विभाजन नहीं होने देंगे। यही तारीख विनाय मुखास्मत व विनाय दावा है। विवादित भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है तथा न्यायालय को खाता विभाजन करने व वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है व अन्दर मियाद पेश है। [illegible] स्थान सरकार लेण्ड होल्डर है अतः प्रति. सं. 3 तहसीलदार रायसिंहनगर को स[illegible] की [illegible] से पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न प्रकार से [illegible] व डिक्री फरमाया जावे कि कि चक 16/17 एनपी के प.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 4 ता 9 की 1.518 है. नहरी भूमि का विभाजन कर मु.नं. 22 के कि.नं. 4—5—6—7 की [illegible]2 है. भूमि वादी के नाम से व

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

कि.नं. 8–9 की 0.506 है. भूमि प्रतिवादी सं 1 ता 3 को संयुक्त/अलग रूप से अलग–अलग से खातेदार टिनेन्ट घोषित कर उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अमल दरामद किये जाने बाबत् डिक्री पारित की जावे। उपरोक्त विभाजनानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अलग–अलग जमाबन्दियां जारी किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि.सम्मन तलब किया गया। प्रति. सं. 1 की तरफ से श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रति. सं. 2–3 के हाजिर नहीं आने पर एक माह का निर्धारित समय निकलने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति. सं. 1 की तरफ से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया। वाद पत्र खाता विभाजन से संबंधित है अतः वादी के निवेदन करने पर तहसीलदार रायसिंहनगर से विभाजन प्रस्ताव विभाजन हेतु पत्र जारी किया गया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए विवादग्रस्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 तह. रायसिंहनगर के चक 16/17 एनपी के प.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 4 ता 9 की 1.518 है. नहरी कृषि भूमि का कब्जा काश्ता व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/24/901 दिनांक 04.10.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ./2025/3061 दिनांक 06.05.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 16/17 एनपी के खाता संख्या 31 प.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि नं. 4 ता 9 की 1.518 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर वादी द्वारा दिनांक 06.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव पर एतराज पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर को आपत्ति प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/4365 दिनांक 10.07.2025 पुनः विभाजन प्रस्ताव, मौका रिपोर्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. फकीरचन्द्र पुत्र शिवकरण जाति बिश्नोई चक 16/17 पं.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 4/.253, 5/.253, 6/.253, 7/.253 कुल 1.012 है. नहरी भूमि।
2. शिवकुमार–हरिकुमार उर्फ रामकुमार–वेदप्रकाश पि. हरूप जाति बिश्नोई चक 16/17 पं.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 8–9/0.506 है. कुल 0.506 है.नहरी भूमि।

4. बहस वादी सुनी गई, बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईस्तदुआ की है। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि वाके चक 16/17 एनपी के प.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 4 ता 9 की 1.518 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. फकीरचन्द्र पुत्र शिवकरण जाति बिश्नोई [illegible] मु.नं. 22 के कि. नं. 4/.253, 5/.253, 6/.253, 7/.253 कुल 1.012 है. [illegible] भूमि।
2. शिवकुमार–हरिकुमार उर्फ रामकुमार–वेदप्रकाश [illegible] चक 16/17 पं.नं. 176/335 मु.नं. 22 के कि.नं. 8–9/0.506 है. कुल 0.506 [illegible] भूमि।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद [illegible] विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग [illegible] होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। रहन यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.30 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner